

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पद धारक कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय को सच से ही पता चले है कि वेकॉम अन्य कार्यवाही को सच से। सम्बन्धित विषय पर तब ही पत्र का प्रसार हुआ है जो यह कामों पर विचार उपर्युक्त विचार जहाँ विचारें उपर्युक्त से।



पता : एबीसीडी
दूरभाष : (0751) 2341836
(0751) 2442029
फैक्स : (0751) 2341748

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय,
ग्वालियर

क्रमांक/एफ.सम्बद्धता/2012/5927

दिनांक: 25/12/13

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बन्धित जय इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एण्ड डिस्पेंसरी, ग्वालियर (0751-2341780) को वर्ष 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संशोधित एम.एस.सी. (नर्सिंग), पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुसंधारों प्रदान करने के लिये सार्वजनिक सूचना गठोद्घृत/राज्यीय समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिशिष्ट 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. जे.एन. गौतम, कुलाधिपति, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442603)
- (2) डॉ. सुखल शर्मा, प्राचार्य, जी.आई.एम.आर. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर।
- (3) डॉ. एच.के. शिंदे, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- (4) डॉ. के.एस. टाकुर, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिशिष्ट 27(10) के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रस्ताव निरीक्षण कर सुझाव, घरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ, प्राधिकृत संख्या से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीडा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्किविस तथा विद्यते सत्र में टी जर्न शर्तों की पूर्ति मध्य प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुसंधारों अंकित करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 दिसम्बर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। नियमानुसार अर्बन्ध जमा कराकर नवीन समिति गठित की जायेगी। जिससे 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिशिष्ट 27(11)(1) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति को संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावे। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति को सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

